

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कॅम्प इनझनी  
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :- 67/2017 दावा  
दायरा दिनांक :- 27.04.2017  
निर्णय दिनांक :- 31.05.2017

### उनवान

कैलाशचन्द पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी इनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां

### बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट  
निर्णय दिनांक :- 31.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0न0 221/9 रकबा 01 बीघा मौजा सूरजपुरा खुर्द में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते हैं इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 23.03.2011 को उक्त वर्णित आराजीयात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 23.03.2011 को उक्त वर्णित आराजीयात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से विवादित आराजीयात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जयें सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सूरजपुरा खुर्द संवत 2065-68 खाता संख्या 5 पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कॅम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कॅम्प इनझनी पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

  
उपखण्ड अधिकारी 1  
छीपाबडौद जिला बारां

(2)


प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जमाबन्दी ग्राम सूरजपुरा खुर्द संवत 2065-68 खाता संख्या 5 के ख0नं0 221/9 रकबा 01 बीघा कैलाश पुत्र रामरतन कोम लोधा निवासी झनझनी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। वादी अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडीसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कॅम्प झनझनी पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सूरजपुरा खुर्द के ख0नं0 221/9 रकबा 01 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडीद दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्या जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
जिला न्यायाधीश  
छीपाबडीद जिला बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या	67/2017	घारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक	31.05.2017
मता :	श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारां			
सपरिस्थिति :	अभिभाषक वादी- श्री आर पी गोयल	अभिभाषक प्रतिवादी-		

वाद शीर्षक

उनवान

कैलाशचन्द पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी इनझनी तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प इनझनी पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सूरजपुरा खुर्द के ख0नं0 221/9 रकबा 01 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।  
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ..... को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर  
उपखण्ड अधिकारी,  
छीपाबडौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( %)		
10.	योग		